



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या: 26/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 01 मई, 2023

अनर्हता सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे। प्राप्त अभिलेखों के सन्निरीक्षोपरांत अनर्ह अभ्यर्थियों हेतु जारी अनर्हता सूची दिनांक 30 जनवरी, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 14.02.2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर, सांख्यिकी (Statistics) विषय के निम्न अभ्यर्थियों को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अनर्ह किया गया है:-

सांख्यिकी (Statistics)

क्र0 स0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	513611	<p>अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के क्रम में प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में ए0पी0आई0 के लिए कुल 91 अंक का दावा किया गया है। शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13.04.2022 के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण में विषय-विशेषज्ञों द्वारा अवार्ड के 03 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। तदनुसार अवार्ड के 03 अंकों के दावों को कम करते हुये अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 91 के स्थान पर 88 है। सांख्यिकी विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ 91 है। तदनुसार कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया था।</p> <p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 30 जनवरी, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 14.02.2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अनर्ह किया गया है।</p>
2.	513623	<p>अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 अथवा 4 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। उपरोक्त के क्रम में अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर पी0एच0डी0 के लिए यू0जी0सी0 मानक के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया था।</p> <p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 30 जनवरी, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 14.02.2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अनर्ह किया गया है।</p>

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।